नगर पंचायत बन्जार, जिला कुल्लू, (हिमाचल प्रदश) के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 04/2012 से 03/2014

भाग–एक

1 **(क) प्रारम्भिक :–**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 255(1) में संशोधन होने व प्रधान सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्याः 1–376/81–फिन(एल0ए0)खण्ड–IV, दिनांक 16.10.2008 द्वारा नगर परिषदों तथा नगर पंचायतों के लेखाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत नगर पंचायत बन्जार, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य किया गया।

(ख) वर्तमान अंकेक्षण अवधि के दौरान आहरण एवं वितरण अधिकारी के पद पर निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत रहेः–

प्रधान

क्रमांक	नाम	अवधि
1	श्री अरूण कुमार	4/2012 से 3/2014

सचिव

क्रमांक	नाम	अवधि
1	श्री बी0डी0 आजाद (नायब तहसीलदार)	4/2012 से 7/2012
2	श्री बलदेव सिंह (नायब तहसीलदार)	1.9.12 से 28.2.13
3	श्री रमण घरसंघी (तहसीलदार)	1.3.13 से 27.5.13
4	श्री मनोहर लाल (नायब तहसीलदार)	28.5.13 से 31.1.14
5	श्री रमण घरसंघी (तहसीलदार)	1.2.14 से 31.3.14

(ग) गम्भीर अनियमितताओं का सारः–

नगर पंचायत बन्जार, जिला कुल्लू के लेखाओं अवधि 04/2012 से 03/2014 के अंकेक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त सार निम्न प्रकार है।

क्रम संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	पैरा संख्या	राशि ₹लाखों में
1	अनुदान की राशि का उपयोग न करना।	5 (क)	23.83
2	दिनांक 31.3.14 तक गृहकर की बकाया राशि की वसूली न करना	6	7.80
3	दुकानों के किराए की बकाया राशि की वसूली न करना।	8	2.72
4	मोबाईल टावरों की नवीनीकरण शुल्क की वसूली न करना	10	0.25
5	मकान किराया भत्ते की राशि का अधिक भुगतान	11	0.11
6	निर्माण कार्य बिलों में गलत गणना कर संविदाकार को अधिक भुगतान	13	0.37

(घ) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन :–

गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के शेष पैरों पर की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के उपरान्त नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के **परिशिष्ट "I"** पर दर्शाई गई है। यह देखने में आया है कि गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के अनिर्णीत पैरों के निस्तारण हेतु नगर पंचायत द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है जो अत्यन्त चिन्ताजनक है। अतः नगर पंचायत इन लम्बित पैरों के निपटारे हेतु विशेष कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। अनुपालना से इस विभाग को अवगत करें ताकि अधिक से अधिक पैरों का निस्तारण सम्भव हो सके।

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षण :–

नगर पंचायत बंजार, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश के अवधि 04/2012 से 03/2014 तक के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण श्री चन्द्रेश हाण्डा, सहायक नियन्त्रक (लेखा परीक्षा) व श्री विकास धवन, अनुभाग अधिकारी (ले0प0) द्वारा दिनांक 26.2.2015 से 17.3.2015 के दौरान नगर पंचायत बंजार में किया गया। आय व व्यय की विस्तृत जांच

हेतु क्रमशः माह 8/2012 व 12/2013 तथा माह 6/12 व 11/13 के लेखाओं का चयन किया गया जिसके परिणामों को आगामी अनुच्छेदों में दिखाया गया है।

अनुवर्ती अनुच्छेदों में वर्णित अभिलेख के अलावा समस्त अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत किया गया। वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण नगर पंचायत बन्जार के सचिव द्वारा उपलब्ध सूचनाओं व अभिलेख के आधार पर किया गया है। अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी अधूरी सूचना/अभिलेख के लिए स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा। अंकेक्षण विभाग का उत्तरदायित्व केवल चयनित माहों तक सीमित रहेगा।

3 अंकेक्षण शुल्क :–

नगर पंचायत बन्जार, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश के अवधि 04/2012 से 03/2012 तक के अंकेक्षण करने का शुल्क ₹21000/–मात्र बनता है। सचिव नगर पंचायत बन्जार को सहायक नियन्त्रक की अंकेक्षण अधियाचना संख्या फिन (एल0ए0) (एस0एम0)/597 दिनांक 17.3.15 द्वारा उपरोक्त शुल्क की राशि को रेखाकिंत बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग को भिजवाने का अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थिति :–

नगर पंचायत बन्जार के लेखों अवधि 4/2012 से 3/2014 तक की वितीय स्थिति निम्न प्रकार से थी:–

वर्ष 2012–13

		आरम्भिक शेष	वर्ष के दौरान प्राप्ति	कुल राशि	व्यय	शेष
(i)	स्व स्त्रोत	(–) 8406	526452	518046	626497	(–) 108451
(ii)	अनुदान	2741428	1654389	4395817	2133616	2262201
	योग	**2733022**	**2180841**	**4913863**	**2760113**	**2153750**

वर्ष 2013—14

		आरम्भिक शेष	वर्ष के दौरान प्राप्ति	कुल राशि	व्यय	शेष
(i)	स्व स्त्रोत	(—) 108451	617327	508876	300147	208729
(ii)	अनुदान	2262201	2040023	4302224	2126041	2176183
	योग	**2153750**	**2657350**	**4811100**	**2426188**	**2384912**

बैंक समाधान

विवरणीः—

रोकड़ बही के अनुसार 31.3.14 को शेष राशि ₹2384912.00

(+) चैक जो जारी किए गए परन्तु बैंक में 31.3.14 तक भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए

चैक	दिनांक	राशि	
227847	14.7.10	2000	
227848	14.7.10	2000	
585509	22.3.12	1275	
496201	4.3.14	8119	
496202	4.3.14	1000	
495534	22.2.14	1000	₹15394

(+) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/11 स 3/12 क पैरा 4 (क से ग, ङ से छ) द्वारा दर्शाई गई राशि (400+32+250+30+10+2) ₹724

₹2401030

(—) अंकेक्षण प्रतिवेदन 4/11 से 3/12 के पैरा 4 (ज व झ) द्वारा दर्शाई गई राशि (100+2707) (—) 2807

रोकड़ बही के अनुसार बैंक खातों में 31.3.14 को शेष राशि ₹2398223

बैंक पास बुकों के अनुसार 31.3.14 तक शेष राशि ₹2398470

अन्तर	₹247

बैंक में जमा राशि (दिनांक 31.3.2014)

(क) मुख्य रोकड़ बही:–

क्र0सं0	**खाता संख्या**	**बैंक का नाम**	**राशि (₹)**
1	20010006670	के0सी0सी0 बन्जार	351325
2	20010006885	के0सी0सी0 बन्जार	2047145
		कुल राशि	**2398470**

अतः प्रतिमाह माह के अन्त में आय व व्यय का ब्यौरा तैयार न करन व रोकड़ बही का मासिक समाधान न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए। लेखों का समाधान कर ₹247/– के अन्तर के कारण स्पष्ट कर आगामी लेखा परीक्षण को जाँच हेतु प्रस्तुत किया जाए।

4.1 SJSRY :– वर्ष 2012–13 व 2013–14 के दौरान SJSRY के लेखों की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार है:–

	2012–13 (₹)	**2013–14 (₹)**
प्रारम्भिक शेष	80313	191450
वर्ष में प्राप्ति	211661	7735
कुल जमा राशि	291974	199185
वर्ष में भुगतान	100524	–
अन्तशेष	191450	199185

(ख) रोकड़ बही SJSRY

1	77815	पी0एन0बी0 बन्जार	199185

4 निवेशः–

नगर पंचायत बन्जार द्वारा अवधि 4/12 से 3/14 तक के दौरान कोई भी राशि को निवेशित नहीं किया गया।

5 अनुदानः–

अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार अंकेक्षण अवधि में प्राप्त आय व व्यय की गई अनुदानो की विवरणी **परिशिष्ट "क"** पर दर्शाई गई है जिनमें निम्नलिखित अनियमितता पाई गईः–

क) अनुदान की राशि ₹23.83 लाख का उपयोग न करनाः–

अनुदानों की विवरणी के अवलोकन में पाया गया कि अंकेक्षण अवधि से पहले प्राप्त पुराने अनुदानों में क्रम संख्या 9, वर्ष 2012–13 में क्रम संख्या 6, 7 व 9 व वर्ष 2013–14 में क्रम संख्या 1 से 7 के कुल ₹2382859/– **(परिशिष्ट "ख")** का या तो पूर्ण रूप से उपयोग नहीं किया गया है या बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया गया। इन राशियों का उपयोग विकास कार्यों हेतु किया जाना अपेक्षित था। अतः इन अनुदानों का नियमानुसार शीघ्र उपयोग करके इनके उपयोगिता प्रमाण पत्र सम्बन्धित कार्यालय को प्रेषित किये जाऐं अन्यथा ये राशियां सम्बन्धित विभाग को वापिस की जाए।

6 दिनांक 31.3.14 तक गृहकर की बकाया राशि ₹7.80 लाख की वसूली न करनाः–

अंकेक्षण अवधि 4/12 से 3/2014 तक नगर पंचायत द्वारा गृहकर की बकाया राशि के उपलब्ध विवरणानुसार दिनांक 31.3.2014 तक राशि ₹780156/– की वसूली की जानी अपेक्षित थी। इस राशि का विवरण **परिशिष्ट "ग"** में दिया गया है। नगर पंचायत द्वारा गृहकर की वसूली हेतु कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई। अंकेक्षण अवधि के अन्तर्गत गृहकर मांग व एकत्रीकरण रजिस्टर रजिस्टर भो अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किया गया। इस महत्वपूर्ण अभिलेख को तैयार नहीं किया गया। इस अभिलेख को तैयार न कर अंकेक्षण को प्रस्तुत उपरोक्त दर्शित परिशिष्ट में वर्ष 2012–13 व 2013–14 में क्रमशः ₹9234 व ₹151476/– की प्राप्ति गलत प्रतीत होती है। अतः गृहकर मांग एवं एकत्रीकरण रजिस्टर को तैयार कर सही स्थिति बारे अंकेक्षण को आगामी लेखा परीक्षण में पुष्टि हेतु एवं वस्तुस्थिति से अवगत करवाया जाए। गृहकर की शेष वसूली हेतु नगर पालिका अधिनियिम 1994 की धारा 87 (1) में विनिर्दिष्ट नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही अमल में लाई जाए।

7 गृहकर की दरों में बढ़ौतरी न करने के कारण आय की क्षति बारेः–

अंकेक्षण अवधि 4/12 से 3/14 के दौरान गृहकर की मांग व वसूली 8½**%** की दर से जा रही थी जबकि सरकार के पत्र संख्या यू0डी0एच0सी0 (10)–2/2002 दिनांक 24.9.2003 द्वारा नगर पंचायत द्वारा 12½**%** की दर से गृहकर लिया जाना निर्धारित किया गया था। लेकिन नगर पंचायत द्वारा 8½**%** की दर से मांग कर 4**%** कम (12½**%** – 8½**%**) गहकर निर्धारित किया गया है। जिसके कारण नगर पंचायत की आय में अंकेक्षण अवधि 2 वर्ष में कुल माँग ₹288798 x 2=₹577596X4**%**=₹23104 की क्षति हुई। अतः नगर पंचायत सरकार द्वारा निर्धारित गृहकर की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये गृहकर की वसूली सरकार द्वारा निर्धारित दर पर करना सुनिश्चित करें।

8 दुकानों के किराये की बकाया राशि ₹2.72 लाख की वसूली न करने बारेः–

नगर पंचायत के लेखों अवधि 4/2012 से 3/2014 तक के दौरान दुकानों के किराया मांग एवं एकत्रीकरण रजिस्टर के अवलोकन करने पर पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा दिनांक 31.3.2014 तक दुकानों के किराये की बकाया राशि ₹271739/– की वसूली करनी शेष थी। इस राशि का विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के **परिशिष्ट "घ"** में दर्शाया गया है। नगर पालिका अधिनियिम 1994 की धारा 89 (1) में विर्निदिष्ट नियमों के अन्तर्गत बकाया राशि की वसूली हेतु विशेष अभियान चलाया जाए। ताकि नगर पंचायत की वित्तीय स्थिति में सुधार हो सके।

9 दुकानों के किरायेदारों द्वारा किराये का नियमित भुगतान न करने तथा अधिभार की राशि की वसूली न करनाः–

दुकानों के किराया मांग व संग्रह अभिलेख की जाँच पड़ताल करने पर पाया गया कि निम्न दुकानदारों द्वारा मासिक किराया नियमित रूप से अदा नहीं किया गया था तथा ऐसे मामलों में नगर पंचायत द्वारा दुकानों के इकरारनामों के अनुसार किराया भुगतान न करने पर 1**%** अधिभार (पैनलटी) राशि को किराया मांग व संग्रह अभिलेख में दर्ज नहीं किया था। अतः बकाया किराये की वसूली क साथ–2 अधिभार की राशि वसूला जाना सुनिश्चित किया जाए।

Sr. No.	Page No. of Demand	Shop No.	Name of Tenant	Rent Per Month	Period in which rent not Paid	Amount of surcharge (Penalty) (₹)

	& Collection register			**(₹)**		
1	61, 63	1	Sh. Om Prakash	880	5/12 to 12/12 2/13 to 6/13 9/13 to 11/13	880x16x1%=141
2	61, 63	4	Sh. Deepak Sharma	1650	4/12 to 3/14	1650x24x1%=396
3	61, 63	7	Sh. Tilak Raj	440	9/12 to 11/12	440x7x1%=31
					4/13 to 6/13	
					9/13 and 12/13	
4	61, 63	8	Sh. H.K. Kaul	440	9/12 to 3/14	440x19x1%=84
5	61, 63	9	Sh. Uttam Ram	550	10/12, 11/12 8/13 and 10/13	550xx4x1%=73
6	61, 63	16	Sh. Goverdhan Dutt	2420	10/12, 9/13 3/14	2420x3x1%=73
7	61, 63	17	Sh. Chaman Lal	3960	4/12 to 3/14	3960x24x1%=950
8	61, 63	Meat Shop	Sh. Charan Singh	1000	4/12 to 5/12 3/13 to 2/14	1000x14x1%=140
9	63	Hall	Sh. Urvinder Sharma	1500	10/13 to 2/14	1500x5x1%=75
					Total	**1912**

10 मोबाईल कम्पनी (ऐयरसेल) से नवीनोकरण शुल्क की बकाया राशि ₹0.25 लाख की वसूली न करनाः–

लखाओं अवधि 4/2012 से 3/2014 के अंकेक्षण के दौरान यह पाया गया कि पंचायत सीमा क्षेत्र में स्थित ऐयरसेल कम्पनी के टावर के वर्ष 2009–10 से 2013–14 तक की नवीनीकरण शुल्क की राशि ₹25000/– की वसूली करनी शेष थी। अतः पंचायत इस बकाया राशि की शीघ्र वसूली हेतु ठोस कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

11 मकान किराया भत्ते की राशि ₹0.11 लाख का अधिक भुगतानः–

वित्त विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार की कार्यालय अधिसूचना संख्या फिन (सी) बी (7) 1/2012 दिनांक 28.2.2012 द्वारा दिनांक 1.3.2012 से मकान किराये भत्ते का संशोधन

हुआ था। इस अधिसूचना द्वारा ग्रेड वेतन के बिना केवल मूल वेतन पर मकान किराया भत्ते का निर्धारण किया गया है लेकिन नगर पंचायत द्वारा यह भत्ता मूल वेतन व ग्रेड वेतन जोड़कर कुल वेतन के आधार पर निर्धारित कर माह 3/12 स 2/15 (कुल 36 माह)₹10800/– का अधिक भुगतान किया जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

क्र0 सं0	नाम व पदनाम	मूल वेतन	भत्ता जिस दर पर दिया (₹)	वास्तव में देय दर (₹)	अधिक मासिक भुगतान	माह	अधिक भुगतान (₹)
1	श्री देव राज, लिपिक	13620	450	400	50	36	1800
2	श्री जीवन लाल, पर्यवेक्षक	7000	350	300	50	36	1800
3	श्री दिला राम, टोल गार्ड	6270	300	250	50	36	1800
4	श्री चुनी लाल, सफाई कर्मचारी	7700	350	300	50	36	1800
5	श्रीमती गम्भरी, सफाई कर्मचारी	5700	300	250	50	36	1800
6	श्री बुद्धि सिंह सफाई कर्मचारी	5700	300	250	50	36	1800
						कुल	₹10800

अतः उपरोक्त अधिसूचना की अनुपालना में ₹10800/– की वसूली करना सुनिश्चित की जाए।

12 गलत वेतन निर्धारण के फलस्वरूप अंकेक्षण अवधि 4/12 से 3/14 तक ₹0.25 लाख का अधिक भुगतानः–

गत अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/11 से 3/12 के पैरा संख्या 15 का क्रम जारी रखते हुए गलत वेतन निर्धारण के फलस्वरूप निम्न कर्मचारियों को ₹24535/– के वेतन व भत्तों का अधिक भुगतान किया गया जिसका कर्मचारो वार ब्यौरा निम्न प्रकार है। अतः वेतन व भत्तों की अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली करना सुनिश्चित किया जाए।

(i) श्री देव राज, लिपिकः–

गत अंकेक्षण 4/11 से 3/12 के पैरा 15 (i) के क्रम को जारी रखते हुए निम्नविवरणानुसार श्री देव राज, लिपिक को माह 10/12 से 3/14 तक वेतन व भत्तों की राशि ₹3383/– का अधिक भुगतान किया गया।

क्र0 सं0	अवधि	मूल वेतन जो भुगतान किया गया(₹)	देय मूल वेतन की राशि (₹)	अन्तर (₹)	डी0ए0 (₹)	कुल (₹)	माह	अधिक भुगतान (₹)
1	10/12 से 11/12	13620	13520	100	72	172	2	344
2	12/12	14029	13930	99	71	170	1	170
3	1/13 से 6/13	14029	13930	99	79	178	6	1068
4	7/13 से 11/13	14029	13930	99	89	188	5	940
5	12/13	14459	14350	109	98	207	1	207
6	1/14 से 3/14	14459	14350	109	109	218	3	654
							कुल	**3383**

(ii) श्री जीवन लाल, वर्क सुपरवाईजरः–

गत अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/11 से 3/12 तक के पैरा संख्या 15 (ii) के क्रम को जारी रखते हुए उक्त कर्मचारी को वेतन व भत्तों की राशि ₹1450/– का निम्नविवरणानुसार अधिक भुगतान किया गया।

क्र0 सं0	अवधि	मूल वेतन	देय मूल वेतन	अन्तर (₹)	डी0ए0 (₹)	कुल (₹)	माह	अधिक भुगतान (₹)
1	10/12 से	9170	9080	90	65	155	2	310

	12/12							
2	1/13 से 6/13	9170	9080	90	72	162	6	972
3	7/13	9170	9080	90	81	171	1	171
4							कुल	1453

(iii) श्री दिले राम, टोल गार्डः–

गत अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/11 से 3/12 तक के पैरा संख्या 15 (iii) के क्रम को जारी रखते हुए उक्त कर्मचारी को 1.10.12 से 31.3.14 तक वेतन व भत्तों की राशि ₹19699/– का निम्नविवरणानुसार अधिक भुगतान किया गया।

क्र0 सं0	अवधि	जो भुगतान किया गया (₹)	भुगतान योग्य राशि	अन्तर (₹)	डी0ए0 (₹)	कुल (₹)	माह	अधिक भुगतान (₹)
1	10/12 से 12/12	7800	7210	590	425	1015	3	3045
2	1/13 से 6/13	7800	7210	590	472	1062	6	6372
3	7/13	7800	7210	590	531	1121	1	1121
4	8/13 से 12/13	8021	7430	591	532	1123	5	5615
5	1/14 से 3/14	8021	7430	591	591	1182	3	3546
							कुल	19699

13 निर्माण कार्य बिलों में गलत गणना के कारण संविदाकार को ₹0.37 लाख का अधिक भुगतानः–

निर्माण कार्य "P/F mild steel G.I Mash railing in road side from meat market माप पुस्तिका 8 पृष्ठ 60 (वाउचर संख्या 47 माह 7/12 ₹214768) द्वारा स्टील मद का मापन निम्न प्रकार से किया गया।

मद	मात्रा RMT	Fector	कुल स्टील Kg	विवरण
Steel Flat 50x5	348.10	1.95	1324.65	(गलत गणना)

Steel Flat 50x5	348.10	1.95	678.80	सही गणना
			अन्तर	**645.85Kg**
			दर प्रति Kg	**₹58**
			कुल अधिक भुगतान	**₹37459**

अतः गलत गणना करने बारे स्थिति स्पष्ट करते हुये संविदाकार के अगले चलत बिल से अधिक भुगतान की गई राशि ₹37459/– की वसूली की जानी सुनिश्चित की जाए।

14 अस्थाई दुर्विनियोजनः–

नगर पंचायत बन्जार की रसीद बुकों (जी–8) व रोकड़ बही की जाँच पड़ताल में निम्न अस्थाई दुर्विनियोजन के मामले पाये गयेः–

(i) जी–8 संख्या 76/24 से 100/24 व 1/25 से 14/25 द्वारा दिनांक 29.10.2011 से 15.11.2011 तक राशि ₹32201 की विभिन्न आय की प्राप्ति की। यह राशि लगभग 9 माह तक अस्थाई रूप से दुर्विनियोजन कर दिनांक 1.8.2012 को रोकड़ बही में लेखाकिंत तथा बैंक में जमा की गई।

(ii) जी–8 संख्या 76/28 से 81/28 द्वारा दिनांक 13.9.2012 से 18.9.2012 तक ₹9733/– की आय का एकत्रीकरण किया गया। लेकिन यह राशि लगभग छः माह तक अस्थाई रूप से दुर्विनियोजन कर दिनांक 12.3.13 को रोकड़ बही में लेखाकिंत तथा बैंक में जमा की गई।

(iii) जी–8 संख्या 82/28 से 100/28 द्वारा दिनांक 26.12.2012 से 12.3.2013 तक ₹16091/– की आय का एकत्रीकरण किया गया। यह राशि 10 से 12 माह तक अस्थाई रूप से दुर्विनियोजन कर दिनांक 11.12.2013 को रोकड़ बही में लेखाकिंत तथा बैंक में जमा की गई।

(iv) जी–8 संख्या 57/30 से 100/30 द्वारा माह 4/13 से 6/13 के दौरान ₹24288/– की आय की प्राप्ति हुई। इस राशि में से ₹3275/– की राशि 3 से 5 माह बाद दिनांक 10.10.13 को व शेष ₹21013/– की राशि लगभग 6 से 8 माह तक अस्थाई रूप से दुर्विनियोजन कर दिनांक 23.12.2013 को रोकड़ बही में लेखाकिंत तथा बैंक में जमा की गई।

अस्थाई दुर्विनियोजन के मामले निदेशक शहरी विकास के ध्यान में उचित कार्रवाई हेतु लाये जाते है।

15 **विभिन्न निर्माण कार्यों से लेबर सैस ₹5075/–की कटौती व जमा न करने बारेः–**

विभिन्न कार्यों बिलों की जाँच करने पर पाया गया कि बिल्डिंग एण्ड अदर कन्स्ट्रक्शन वर्कस वेलफेयर सेस एक्ट 1996 की धारा 3 (1) क अन्तर्गत कुल निष्पादित कार्य का 1**%** लेबर सैस के रूप में वसूल करके सम्बन्धित विभाग में जमा किया जाना अपेक्षित था निम्न प्रकरणों में लेबर सैस को राशि ₹5075/– न तो संविदाकार से काटी गई और न ही इस राशि को सम्बन्धित विभाग में जमा करवाया गया।

क्र0सं0	**माप पुस्तिका संख्या 8 पृष्ठ**	**कार्य का नाम**	**कुल निष्पादित कार्य (₹)**	**1% लेबर सैस की कटौती नहीं की गई**
1	54	C/O Path & Drain in N.P. Banjar	102548	1025
2	62	Fixing mild Steel railing in road side	250604	2506
3	64	C/O Path in S.D.M Residence	66807	668
4	67	C/O Path from BSNL ward No. I	43716	437
5	68	-do- (Phase II)	43879	439
			कुल राशि	**5075**

अतः उक्त राशि के अतिरिक्त अंकेक्षण अवधि में समस्त निष्पादित कार्यों पर देय लेबर सैस की गणना पंचायत अपने स्तर पर करने के उपरान्त वसूली सुनिश्चित कर सम्बन्धित विभाग में राशि को जमा करवाये।

17 **लघु आपत्ति विवरणीः**– यह अलग से जारी नहीं की गई।

18 **निष्कर्षः**– नगर पंचायत के लेखों के रख–रखाव में अत्याधिक सुधार की आवश्यकता है। पुराने अनिर्णीत पैरों के निपटारे की ओर विशेष ध्यान दिया जाना अपेक्षित है।

हस्ता/–
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्या :– फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15) V 92/89–5541–5542 दिनांक, 15.9.15
शिमला–171009.

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित है :–

(1) निदेशक शहरी विकास, हिमाचल प्रदेश, शिमला–171002 को पैरा/संख्या 1 (ख) पर वर्णित गम्भीर अनियमितताओं पर सम्बन्धित सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

पंजीकृत :– (2) सचिव, नगर पंचायत बंन्जार, जिला कुल्लू हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकक्षण प्रतिवेदन में उठाई गई आपत्तियों का सटिप्पण उत्तर प्रतिवेदन जारी होने से एक मास के भीतर इस विभाग को प्रेषित करें।

हस्ता/–
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

परिशिष्ट ''I''

पैरा–1 (घ) में सन्दर्भित

नगर पंचायत बन्जार के अनिर्णीत पैरों की नवीनतम स्थिति अवधि 4/1989 से 3/2012 तक निम्नलिखित है।

(क) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/89 से 3/94

1	पैरा– 4 (1, 2, 3, 4)	अनिर्णीत
2	पैरा– 5 (3)	अनिर्णीत
3	पैरा– 5 (5) (1)	अनिर्णीत
4	पैरा– 5 (6)	अनिर्णीत
5	पैरा– 5 (7)	अनिर्णीत
6	पैरा– 5 (9)	अनिर्णीत
7	पैरा– 5 (10)	अनिर्णीत
8	पैरा– 5 (11)	अनिर्णीत
9	पैरा– 6 (1, 2, 3)	अनिर्णीत
10	पैरा– 7 (1, 2, 3, 4)	अनिर्णीत
11	पैरा– 7 (6)	अनिर्णीत

(ख) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/94 से 3/96

1	पैरा–8	अनिर्णीत

2	पैरा–9 (i)	अनिर्णीत
3	पैरा–9 (3)	अनिर्णीत
4	पैरा–10 (i)(ii)(2)	अनिर्णीत
5	पैरा–10 (1) (4)	अनिर्णीत
6	पैरा–10 (2)	अनिर्णीत
7	पैरा–11 (1)	अनिर्णीत
8	पैरा–11 (2)	अनिर्णीत
9	पैरा–11 (3)	अनिर्णीत
10	पैरा–11 (4)	अनिर्णीत
11	पैरा–12 (1)	अनिर्णीत
12	पैरा–12 (2)	अनिर्णीत
13	पैरा–12 (3)	अनिर्णीत
14	पैरा–12 (4)	अनिर्णीत
15	पैरा–12 (5)	अनिर्णीत
16	पैरा–14	अनिर्णीत

(ग) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/96 से 3/2002

1	पैरा–5 (क, ख, ग)	अनिर्णीत
2	पैरा–6 (1)	अनिर्णीत
3	पैरा–6 (2)	अनिर्णीत
4	पैरा–7	अनिर्णीत
5	पैरा–8	अनिर्णीत
6	पैरा–9 (1)	अनिर्णीत
7	पैरा–9 (2)	अनिर्णीत
8	पैरा–9 (3)	अनिर्णीत
9	पैरा–9 (4)	अनिर्णीत
10	पैरा–9 (5)	अनिर्णीत
11	पैरा–10 (1)	अनिर्णीत
12	पैरा–10 (2)	अनिर्णीत
13	पैरा–10 (3)	अनिर्णीत

14	पैरा–10 (4)	अनिर्णीत
15	पैरा–10 (5)	अनिर्णीत
16	पैरा–11	अनिर्णीत
17	पैरा–12	अनिर्णीत
18	पैरा–13 (1)	अनिर्णीत
19	पैरा–13 (2)	अनिर्णीत
20	पैरा–14 (2)	अनिर्णीत
21	पैरा–14 (3)	अनिर्णीत

(घ) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2002 से 3/2007

1	पैरा–1	अनिर्णीत
2	पैरा–2	अनिर्णीत
3	पैरा–4 (i)	अनिर्णीत
4	पैरा–4 (ii)	अनिर्णीत
5	पैरा–4 (iii)	अनिर्णीत
6	पैरा–4 (iv)	अनिर्णीत
7	पैरा–4 (v)	अनिर्णीत
8	पैरा–4 (vi)	अनिर्णीत
9	पैरा–4 (vii)	अनिर्णीत
10	पैरा–4 (viii)	अनिर्णीत
11	पैरा–6 (i)	अनिर्णीत
12	पैरा–6 (ii)	अनिर्णीत
13	पैरा–6 (iii)	अनिर्णीत
14	पैरा–6 (iv)	अनिर्णीत
15	पैरा–6 (v)	अनिर्णीत
16	पैरा–6 (vi)	अनिर्णीत
17	पैरा–6 (vii)	अनिर्णीत

(ङ) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2007 से 3/2011 तक

1	पैरा–1 (ख)	अनिर्णीत

2	पैरा–1 (ग)	अनिर्णीत	
3	पैरा–4 (1) (क)	अनिर्णीत	
4	पैरा–5	अनिर्णीत	
5	पैरा–6	अनिर्णीत	
6	पैरा–7	अनिर्णीत	
7	पैरा–8	अनिर्णीत	
8	पैरा–9	अनिर्णीत	
9	पैरा–10	अनिर्णीत	
10	पैरा–11	अनिर्णीत	
11	पैरा–12	अनिर्णीत	
12	पैरा–13	अनिर्णीत	
13	पैरा–14	अनिर्णीत	
14	पैरा–15	अनिर्णीत	
15	पैरा–16	अनिर्णीत	
16	पैरा–17	अनिर्णीत	
17	पैरा–19 (ii) व (iii)	अनिर्णीत	
18	पैरा–20	अनिर्णीत	
19	पैरा–21	अनिर्णीत	
20	पैरा–22	अनिर्णीत	
21	पैरा–23	अनिर्णीत	
22	पैरा–24	अनिर्णीत	
23	पैरा–25	अनिर्णीत	

(च) <u>अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2011 से 3/2012 तक</u>

1	पैरा–3	अनिर्णीत	
2	पैरा–6	निर्णीत	(वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः संशोधित प्रारूपित)
3	पैरा–7	अनिर्णीत	
4	पैरा–8	अनिर्णीत	
5	पैरा–9	निर्णीत	(उपरोक्त)

6	पैरा–10	निर्णीत	(उपरोक्त)
7	पैरा–11	अनिर्णीत	
8	पैरा–12	अनिर्णीत	
9	पैरा–13	अनिर्णीत	
10	पैरा–14	अनिर्णीत	
11	पैरा–15	अनिर्णीत	
12	पैरा–16	अनिर्णीत	
13	पैरा–17	अनिर्णीत	
14	पैरा–18	निर्णीत	(उपरोक्त)